न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी चंदन दुबे (आर.ए.एस.)

65

प्रकरण सं0 114 / 16
प्रस्तुत दिनांक 07.11.2019
निर्णय दिनांक 17.07.20119

बउनवान

1. रामचरण पुत्र श्री लाल । जातिगण चाण्डाल
2. योगेन्द्र कुमार पुत्र श्रीलाल । वर्तमान राजस्व
3. पूजा नाबा0 जरये वली माता कौशल्या बाई । रिकॉर्ड के अनुसार
4. कोशल्या बाई पत्नी स्व0 भगवान लाल । जाति चिन्डाल निवासी गण भंवरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां (राज0)
2. जितेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी भंवरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
3. मदन लाल पुत्र दुलीचंद जाति चाण्डाल निवासी भंवरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा, 88,89,188,आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :–17.07.2019

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट जरिये अभिभाषक श्री विजय नागर इस आशय का पेश किया

1. यह कि आराजी ग्राम भंवरगढ पटवार हल्का भंवरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) के माल मे स्थित खेवट खतोनी सं0 नई 320 पुरानी 304 कुल किता 4 कुल रकबा 46.04 बीघा संयुक्त काश्त की पारिवारिक आराजी स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण की जाति चिन्डाल दर्ज हो रही है जिसे वादीगण चाण्डाल दर्ज करवाने के अधिकारी है वादपत्र मे आगे उक्त आराजी को वादग्रस्त आराजी के नाम सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि वादीगण के राजस्व रिकॉर्ड सम्वत् 2068 से 2071 मे जाति चिन्डाल दर्ज है जो चान्डाल जाति का ही अपभ्रंश रूप है।
3. यह कि वादीगण का पारिवारीक सजरा निम्न प्रकार है–

श्रीलाल पुत्र गनस्या

1	2	3	4
योगेन्द्र कुमार जीवित	भगवानलाल मृत	[illegible] मृत	गुलाबबाई जीवित

भगवानलाल:
पूजा नाबा0 पुत्री — कौशल्या बाई पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2021.01.29 17:12:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

Scanned with CamScanner

66

यह कि वादीगण की मूल जाति चाण्डाल है जिसको ग्राम पंचायत भंवरगढ़ द्वारा प्रमाणित किया गया है। वादीगण के अन्य परिवाजन की जाति भी चाण्डाल है।

यह कि वादीगण की वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में जाति चिन्डाल दर्ज होने से वादीगण को अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाली सभी सुविधाओं से वंचित होना पड रहा है जबकि वादीगण की मूल जाति चाण्डाल होने से वे अनुसूचित जाति के पात्र है।

यह कि माननीय न्यायालय में ग्राम भंवरगढ में स्थित वादीगण के अन्य परिवारजन को चाण्डाल मानकर राजस्व रिकॉर्ड मे जाति चाण्डाल दर्ज की गई है इसी प्रकार वादीगण भी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज जाति चिन्डाल के स्थान पर चाण्डाल दर्ज करवाने के अधिकारी है।

यह कि वादीगण ने "न्याय आपके द्वार" राजस्व अभियान 2016 मे तथा इससे पूर्व भी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण की दर्ज जाति चिन्डाल से चाण्डाल दर्ज करने का निवेदन किया परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे जाति चिन्डाल से चाण्डाल नही किया।

यह कि राजस्थान सरकार सर्वोच्च भूस्वामी होने से उन्हे वादपत्र मे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

यह कि राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय बारां को 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिनांक 16.09.2016 को जारी करने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

यह कि वाद कृषि आराजियात् से सम्बन्धित आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस अवधि तक वाद पत्र पेश करने का इन्तजार किया जाना संभव नही है इसलिए वाद पत्र 80(2) सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय मे पेश है।

11. यह कि वादग्रस्त आराजी ग्राम भंवरगढ़ तहसील किशनगंज मे स्थित होने से न्यायालय श्रीमान् को श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

12. यह कि वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वादीगण वाद पत्र स्वीकार कर खिलाफ प्रतिवादीगण क्रम 1 इस आशय की डिक्री सादिर की जावे कि–

ग्राम भंवरगढ़ मद नं 1 मे वर्णित आराजी ख0न0 420 रकबा 39 बीघा 13 बिस्वा,ख0न0 452 रकबा 12 ... ख0न0 454 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 648 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा ... बीघा 04 बिस्वा में दर्ज वादीगण की जाति चिन्डाल से चाण्डाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार ... किशनगंज को दिये जावें।

अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय श्रीमान् उचित समझे वादीगण को प्रतिवादी क्रम 1 से दिलायी जावे।

रिपोर्ट सरिस्ता ली गई प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी हेतु नोटिस ... जारी किये नियत तिथि को प्रतिवादी क्रम 1 स्वयं उप0 क्रम 2 की ओर से अधिवक्ता एन0के0 शर्मा ने वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियम 10 सी0पी0सी0 इस आशय का पेश किया–

1. यह कि उपरोक्त उनवान के वादपत्र में आज तारीख पेशी नियत है।
2. यह कि उक्त उनवान के वाद पत्र की विवादित आराजी का प्रार्थी सहखातेदार काश्त कार नही है। प्रार्थी द्वारा क्रय की गई आराजी ख0न0 648रकबा 1.04 बीघा वाके ग्राम भंवरगढ़ इन्तकाल नं0 3031 दिनांक 02.02.2013 से वाणिज्यक प्रयोजनार्थ शैक्षणिक संस्थान हेतु भूमि संपरिवर्तन हो चुकी है, तथा प्रार्थी के खातेदारी की आराजी वादीगणों के खातेदारी की आराजी को वादपत्र में स्वयं की खातेदारी की बताकर वादपत्र प्रस्तुत करना विधिक रूप से गलत है। प्रार्थी के खातेदारी की आराजी राजस्व रिकॉर्ड मे किस्म वाणिज्यक प्रयोजनार्थ दर्ज है। जिससे वादीगणों का कोई सरोकार नही है। वाद पत्र मे वादीगणो द्वारा प्रार्थी को पक्षकार गलत बनाया है। ... नही है। वादीगणो ... प्रार्थी का नाम वादपत्र मे ... भी नही ... गई ... द्वारा वादपत्र मे प्रार्थी के खिलाफ कोई ... से प्रार्थी का नाम काटकर रखने से प्रार्थी को आर्थिक रूप से नुकसान होगा। न्यायहित में ... प्रार्थी / प्रतिवादी क्रम 2 का नाम हटाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र ... काटकर हटाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

नकल वादी अधि0 को दिलाई गई वादी अधि0 ने NO OBJECTION कहा 1 प्रतिवादी क्रम 3 की ओर से एड0 रामकिशन नागर ने वकालतनामा मय जवाबदावा इस आशय का पेश किया–

1. वाद पत्र मद नं0 1 स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2021.01.29 17:12:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

Scanned with CamScanner

पत्र मद नं0 2 स्वीकार है।
पत्र मद नं0 3 स्वीकार है।
पत्र मद नं0 4 स्वीकार है।
पत्र मद नं0 5 स्वीकार है।
पत्र मद नं0 6 स्वीकार है।
कारी के अभाव मे अस्वीकार है।
पत्र मद नं0 8 कानूनी है।
पत्र मद नं0 9कानूनी है।
पत्र मद नं0 10 कानूनी है।
पत्र मद नं0 11 कानूनी है।
पत्र मद नं0 12 कानूनी है।
वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार करने मे प्रतिवादी को कोई आपत्ति

क्रम 1 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही किया प्रतिवादी जवाब बन्द किया गया वादी अधि0 ने साक्ष्यवादी मे PW-1 रामचरण PW-2 कन्हैया लाल PW-3 PW-4 योगेन्द्र के बयान करवाये गये दौराने बयान PW-1 रामचरण ने जाहिर किया कि ग्राम खाता वादी अधि0 की एक पक्षीय बहस सुनी दौराने बहस वादी बहस वादी अधि0 ने वादपत्र में बिन्दुओं को दोहराया और वादी के वाद पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया पत्रावली का किया पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट स्वीकार योग्य है। अतः इस आशय का निर्णय पारित जाता है

क्रियात्मक आदेश

कि वाकेग्राम भंवरगढ़ ख0न0 420 रकबा 39 बीघा 13 बिस्वा,ख0न0 452 रकबा 12 ख0न0 454 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 648 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 04 बिस्वा में दर्ज वादीगण की जाति चिन्डाल से चाण्डाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार को दिये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 को अदालत सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2021.01.29 17:12:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner